International Journal of Education and Science Research Review

E-ISSN 2348-6457

Volume-9, Issue-1 Jan-Feb-2022 P-ISSN 2349-1817

www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा

रमेश सिंह

शोधार्थी,महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर

डॉ.आलोक कुमार श्रीवास्तव

आचार्य - राजनीति विज्ञान (राज. महा.अजमेर)

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय- अजमेर

सार

भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदण्ड हैं। एक तरफ तो उन्हें पूजनीया, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमाए देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नहीं रहता है। भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन हुए हैं, परन्तु उन्हें पुरूष समाज की ओर से जितना समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिला। घर परिवार और समाज में वाजिब सम्मान के लिए उसे लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नये आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण का आरंभ हुआ । महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाए समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाए आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाए हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पुरुष और दूसरी महिला सदस्यो के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।

मुख्यशब्द: *महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा*

परिचय

भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदण्ड हैं। एक तरफ तो उन्हें पूजनीया, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमाए देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नहीं रहता है। भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन हुए हैं, परन्तु उन्हें पुरूष समाज की ओर से जितना समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिला। घर परिवार और समाज में वाजिब सम्मान के लिए उसे लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना

समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नये आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण का आरंभ हुआ ।

महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाए समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाए आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाए हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पुरुष और दूसरी महिला सदस्यो के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार मे हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है।(1) महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब उसकी लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, को आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाए। अरस्तू के शब्दों में ''किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति व अवनति पर ही उस राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्भर है। महिलाओं का समर्थ होना निरन्तर विकास की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं अपने जीवन की सभी पहलुओं पर पूरा नियत्रंण पा सकती है। अतएव जब उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को सुदृढ नही किया जाता तब तक महिलाएं समर्थ नही हो सकेंगी। समाज के सन्दर्भ में नारी की स्थिति युगानुयुग परिवर्तनशील बनी रही है। नारी की महत्ता और गौरव एवं उसका वर्चस्व और गरिमा कभी उच्च से उच्चतर हो रही है, तो कभी उसमें ह्रास परिलक्षित होता है। एक सा स्वरूप उसका कभी नही रहा। आज नारी की जो सामाजिक और स्थिति है। 'कल' वैसी न थी, यह अन्य बात है, कि नारी अपनी विद्यमान अवस्था को अतीत की अपेक्षा उन्नत मानती है।

प्रत्येक रूप में नारी की भाति भाति की पात्रता अभिनीत करनी पड़ती है। चूंकि आज की नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नही रह गया है। उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली-भाॅति निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही नारी को एक ही दिन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती हैै। आजकल की कामकाजी नारी के रूप में अत्यधिक विस्तृत हो चुके है। अतः स्पष्ट है, कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है। नारी के संबध में यहा तक कहा गया है, कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गंम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते है। अस्तु कहा जा सकता है कि युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित है। समाज में जब तक नारी को उचित आदर प्राप्त नही होगा उसका विकास सम्भव नहीं, उसके

विचार में नारी को ऐसी स्थिति में लाना होगा जहां वह अपने समस्याओं को अपने तरीके से समाधान स्वंम कर सके और भारत की नारी ऐसा करने में उतनी ही समर्थ है। जितनी विश्व की अन्य देशों की महिलाएं। भारत में इंदरा गांधी और अहिल्याबाई जैसे निर्भिक नारी की परम्परा को जारी रखना होगा। नारी शिक्षा को विस्तार और धर्म को केन्द्रीय स्थान देकर इसका चरित्र निर्माण और बम्हचर्य रक्षा में दूर तक प्रभाव पड़ेगा।

उद्देश्य

1. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा

2. राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के केन्द्रीय योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया

शिक्षा महिला सशक्तिकरण में सबसे मुख्य भूमिका शिक्षा निभा सकती है। शिक्षा मनुष्य के आचार विचार व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा स्त्रियों के सर्वागीण विकास, समाज की चर्तुभुजी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी विविध क्षेत्रों में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकती है। महिला शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1958 में देशमुख समिति का गठन किया गया, इस समिति ने महिला शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक उपाय बताए। इसके बाद महिला शिक्षा के संबंध में पुनः विस्तार से सुझाव देते हुए 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया। इसके बाद कोठारी आयोग (1964-66) ने स्त्री पुरूषों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमां का सुझाव दिया। साथ ही कोठारी आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतु आधारभूत पाठ्यचर्चा प्रस्तुत की। इसका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न भिन्न प्रांतो में स्त्री-शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप में संगठित किया गया । इन सब विशेषताओं को पूरा करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। शिक्षा में कोई भेद नही किया जाएगा नारी को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके अलावा स्त्रियों को विज्ञान, तकनीकी और मैनेजमेंन्ट की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 2 अक्टूबर 1964 को शिक्षा आयोग के उद्घाटन भाषण में श्री एमसी. छागला (तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री) ने भी संकेत किया था - ''एक शिक्षित नारी का प्रभाव चमत्कारी होता है और उसका प्रभाव समाज पर प्रभावकारी होता है। अतः महिला शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।''

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास

1. 1 नवंबर 1999 में प्रारंभ 'पढ़ना-बढ़ना आंदोलन' अत्यधिक सफल रहा। इस योजना के अंतर्गत एक निरक्षर को पुनः साक्षर करने पर 100 रू. गुरू दक्षिणा का प्रावधान था, वह कारगर साबित हुआ।

2. निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिये यथासंभव स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित स्वयं-सेवकों को दायित्व सौंपा गया।

3. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व-सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया गया। साक्षरता अभियान के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2-3 हजार महिला व सहायता समूह विभिन्न जिलों में गठित किए जा चुके हैं।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं, विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क/यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना।

5. व्यावसायिक एवं व्यवसायोन्मुखी परामर्श एवं प्रशिक्षण (जो केवल महिलाओं पर केन्द्रित हो) का आयोजन ताकि वे अपनी योग्यताओं एवं रूचियों के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें।

6. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व-सहायता समूह के गठन को बढ़ावा दिया गया। साक्षरता अभियान के माध्यम से इब तक राज्य में लगभग 2-3 हजार महिला स्व-सहायता समूह विभिन्न जिला में गठित किये जा चुके हैं।

7. महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उनके निजी बचत खाते, बैंको, डाकघरों में खोलने को प्राथमिकता दी गई।

8. साक्षरता अभियान क्रियान्वयन से जुड़ी जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की समस्त समितियों में महिलाओं की भागीदारी 30-35 प्रतिशत तक सुनिश्चित की गई।

9. आकाशवाणी रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर के समय-समय पर महिला साक्षरता को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

10. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्य (मूल्य आधारित) शिक्षा के समावेश हेतु आवश्यक उपाय किये गये।

11. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला विभूतियों एवं महिलाओं से संबंधित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को सम्मिलित करना।

12. बालिकाओं को वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा दिये जाने हेतु प्रोत्साहन।

13. 1 जनवरी 1997 से पूरे प्रदेश में 'शिक्षा गारंटी योजना' शुरू की। इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो इसका जिम्मा पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया। पंचायती राज्य व्यवस्था द्वारा किये गये प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल

तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोउवार का कथन है, "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब-जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब-तब समाज ही कठघरे में खड़ा होता है । समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है ।भारत व समूचा विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहता आया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका आशय यह नहीं है कि अब पितृसत्तात्मक समाज को बदल कर मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जाती है जहाँ नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे चीन की मोसुओ, कोस्टा रिका की ब्रिब्रि जनजाति, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलायें ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। यदि समाज को स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ना है तो समाज मातृ या पितृसत्तात्मक होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और सही मायनों में पुरुष-स्त्री समान रूप से सशक्त होंगे।

विश्व में नारी आंदोलन की नींव 19वीं शताब्दी में ही रखी गई। पश्चिम के कई राष्ट्र उस दौर में इस आंदोलन में भागीदार बने। नारी आंदोलन जब सामने आए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की एक अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को समझने के लिए नारी आंदोलन को समझना भी अतिआवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो नारी आंदोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई। नारीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है। यह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम और स्वरूप को गठित करता है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार देता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। यह आंदोलन मानता है कि स्त्री को भी पुरुष के बराबर सम्मान, अधिकार व अवसर मिले। नारी आंदोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा को मानता है कि स्त्री भी एक मनुष्य है। मनुष्य होने के साथ-साथ वह दुनिया की आधी आबादी है। सृष्टि के निर्माण में उसका भी उतना ही सहयोग है जितना कि पुरुष का।

नारी आंदोलन का पहला चरण 19वीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारंभ होने का है। अमरीका के शहरी, उदारवादी और औद्योगिक माहौल में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी लहर साठ के दशक से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें यह पहचान की गयी कि कानून व वास्तविक असमानताएं दोनों आपस में जटिलतापूर्वक जुड़ी हुई हैं एवं इसे दूर किया जाना चाहिए। तीसरी लहर नब्बे के दशक से प्रारंभ होती है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। इसमें दूसरी लहर के द्वारा नारीत्व की दी हुई परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था, उसे गढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समाज सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा वह पश्चिम में रहा है। भारत में नवजागरण अर्थात उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है जो 1915 के आस पास तक रहती है। यह उत्थान समाज सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज, बाल विवाह, सती प्रथा व देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज आदि की बात उठाई गई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा व सवित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर व उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनों का दूसरा दौर जो लगभग भारत में गांधी के आगमन के साथ आरंभ होता है वह 1915 से आरंभ हुआ माना जाता है। यह वो दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थीं। यह वही दौर है जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गांधी व अम्बेडकर जी द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय रूप से देखा जाता है। महात्मा गांधी बड़े व्यावहारिक रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओं तथा छुआछूत के उन्मूलन की बात कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे ही कार्य डॉ. अंबेडकर कर रहे थे जहाँ उन्होंने मताधिकार दिलाना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना व समानता के अधिकार को दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि "दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं।" सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकल कर नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ पर उसके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या इसके लिए वह किसी और पर निर्भर है। इसी प्रकार आज आर्थिक रूप से सशक्त होने उसके लिए बहुत आवश्य है। यदि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह कभी भी सशक्त नहीं हो सकेगी, इसलिए यह एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक रूप से आज भी हमारे समाज का मूल पितृसत्ता के

रूप में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय-समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर मोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। धर्म भी इसमें कई बार अपनी भूमिका अदा करता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। सबरीमाला या अन्य धर्म के स्थलों पर प्रवेश न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म-जाति के गठजोड़, रूढ़ि व अंधविश्वास ने महिलाओं को और शोषित किया है।

राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अभी भी सतत क़ायम है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा के कुल 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। कुल 28 राज्यों में वर्तमान समय में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। भारत में राष्ट्रपति से ज़्यादा व्यावहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, इस पद केवल एक महिला का आ पाना सब कुछ उजागर करता है।

महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके पूरे भविष्य को तय करता है। यदि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं तो सही मायने में हम पूरी तरह से आजाद हैं। अनेक मसलों पर हमारा निर्णय निर्भरता की वजह से प्रभावित होता है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलायें काम करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थीं, इसलिए कोई आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। पैसे के लिए वे अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती थीं। आज ये परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलायें घरों से बाहर निकली हैं, पढ़ कर सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान वेतन पर काअम कर रही हैं लेकिन निजी क्षेत्रों में कई बार, कई जगहों पर उन्हें आज भी भेद-भाव का सामना करना पड़त है। एक लंबे समय तक भारतीय पुरुष व महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाली वार्षिक फीस में भेदभाव था, इसे अब 2022 में जाकर दूर किया गया । पूरे फिल्म उद्योग में पुरुष सितारों की फीस कि तुलना में महिलाओं की फीस काफी कम है। ऐसी असमानताएं निजी क्षेत्रों में आज बरकरार है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कार्पोरेट के मुखिया जैसी जगहों पर इक्का-दुक्का उदाहरण छोड़ कर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है जो दर्शाता है कि पुरुष प्रधानता के लक्षण मौजूद हैं।

भारत मे महिलाओं के शिक्षा के प्रयास आधुनिक काल के शुरुआती दौर में ही हुए जिसका प्रसार अब लगातार देखने को मिलता है। आज के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियाँ भी अब पढ़ने जाने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत अवधारणाएं अभी भी बलवती हैं जिनके बावजूद निचली जाति की लड़कियां भी अब प्राथमिक विद्यालय की ओर रुख कर रही हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है लेकिन उसका एक बड़ा

हिस्सा आज भी घरेलू काम-काज तक ही सीमित हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों में अंतर आज भी विद्यमान है। पूरे देश में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने में इस तरह के मौजूद अंतर को पाटना अभी बेहद जरूरी है।

वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्नतर नहीं थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल को देखें तो स्त्री ने सम्माननीय जीवन पहले भी जिया है। एक सशक्त जीवन की गवाह वह पहले भी रह चुकी है।

उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में एकाएक बदलाव नहीं हुए। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते-आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के समय में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ लेकिन लगातार हो रहे आक्रमणों के बीच महिलाओं को पुनः घरों में कैद किया गया। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रहीं। बाद में एक हरम में कई रानियों को रखने का रिवाज सामान्य हो गया। भोग की वस्तु के रूप में तब्दील हो चुकी स्त्री

दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक-आर्थिक-राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है, जो इस सभ्य समाज में उनका हक़ है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के बाद एवं विशेष तौर से आर्थिक सुधारों के बाद राजस्थान में महिलाओं की दशा व दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सकारात्मक परिवर्तन की गति धीमी रही है। राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के केन्द्रीय योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया परन्तु 55 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गयी व लागू की गई योजनाओं की जानकारी ही नहीं है।प्रस्तुत अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के प्रथम प्रयास से यह उभर कर आया है कि सरकारी योजनाओं से क्रमशः 74, 84 व 60 प्रतिशत ने क्रमशः आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण हुआ है, परन्तु उपरोक्त परिवर्तन का स्तर सामान्य है। इसका अधिक लाभ पूर्व से सम्पन्न परिवारों की महिलाओं ने ही प्राप्त किया है। सकारात्मक सामाजिक सोच विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है। राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने, समान अधिकार व सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए सोच लगभग 72 प्रतिशत ने परिवर्तन को स्वीकार किया है, परन्तु 59 प्रतिशत ने गति को सामान्य व धीमी माना है।राज्य व केन्द्रीय सरकार की महिला विकास योजनाएँ तथा कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन एवं समयबद्ध मूल्यांकन के साथ-साथ समाज की सकारात्मक सोच में परिवर्तन भी शिक्षा व संस्कारों के माध्यम से लाना होगा।

संदर्भ

1. अंसारी एम.ए., महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007 पृ 224

2. सिंह गौरव,महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाये, आन्वीक्षिकी (शोधपत्रिका), 2013, पृ. 64,

3. टी. राधाकृष्ण, मध्यप्रदेश महिला नीति भेपाल, 1997, पृ. 11,14,

4. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी जी, भारतीय वाडमय में नारी, नई दिल्ली, 2006 पृ. 24,

5. श्रीवास्तव रागिनि, आधुनिक समाज एवं महिलाएं इंदौर, 2011, पृ. 21,

6. जसटा हरिराम, आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन, दिल्ली 1992, पृ. 21 पूर्वोक्त, पृ 65

7. मेहता, बी.के, और दुबे, राकेश कुमार, शोध संप्रेषण बिलासपुर, 2004, पृ. 18,

8. सुरजन, ललित, संदर्भ छत्तीसगढ़, रायपुर, 2004, पृ. 114,

9. सूरजन ललित, पूर्वोक्त, पृ. 114

10. मेहता, बी.के, और दुबे, राकेश कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 114

11. हरिभूमि, 25 मार्च, 2010, पृ.10

12. पाण्डे मनोज कुमार, नारी साम्राज्य, विश्वभारती प्रकाशन , 2008 पृ. 120